बेल नं०– 5060/2026

आदेश

दिनाँक– 19.08.2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **अकबर शाह उर्फ इकबाल** की ओर से द्वारा अधिवक्ता **मु०अ०सं०– 207/2026,** अंतर्गत **धारा– 3/25 (1–B)a आयुध अधिनियम,** थाना– **इस्लामनगर,** जिला– **बदायूँ** जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त अकबर शाह उर्फ इकबाल प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.08.2026 से जिला कारागार बदायूं में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है।

ऐसे में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का निजी बंध पत्र व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

Sd/–
प्र०सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय
बदायूँ।